औद्योगकि भूम‍ि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नयिम 2021 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री शवि‍राज स‍िंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र‍ि-परषि‍द की बैठक में मंत्र‍ि-परषि‍द ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगकि भूम‍ि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नयिम 2021 में नहिति प्रक्र‍िया को सरलीकृत, वकिास उन्मुखी और अधकि प्रभावी बनाने के लयि‍े नयिम में संशोधन करने का नर्ि‍णय लयि‍ा।

प्रमुख बद‍िु

- वभि‍ाग के आधपित्य की अवकिसति भूम‍ि का आवंटन मध्यम उद्यम को कयि‍ा जा सकेगा। समस्त वकिसति एवं वकिसति कयि‍े जाने वाले औद्योगकि भूखंडों का आवंटन 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' की प्रक्र‍िया से सर्‍िफ इलेक्ट्रॉनकि पोर्टल से कयि‍ा जाएगा।
- बंद औद्योगकि इकाइयाँ, जो कम-से-कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों और कम-से-कम 2 वर्ष से बंद हों, को आवंटति भूखंड के समुचति उपयोग के दृष्टगित नवीन उद्योग स्थापना के लयि‍े भूखंड का वभिाजन कर हस्तांतरण हेतु सशर्त अनुमत‍ि पात्रतानुसार प्रदान की जाएगी।
- फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने की दृष्ट‍ि से औद्योगकि क्षेत्रों में आवंटन के लयि‍े प्रतबिंधति गतवि‍िधियों की सूची से आरा मशीन को वलिोपति कयि‍ा गया है।
- औद्योगकि इकाइयों की स्थापना से राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्थानीय व्यक्तयि‍ों को रोज़गार के अधकि अवसर उपलब्ध हो सकेंगे एवं एमएसएमई सेक्टर में भी उद्यम स्थापना एवं संचालन में सुगमता होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amendment-to-industrial-land,-building-allotment-and-management-rules-2021